न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 समित शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 402/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. किशनाराम पुत्र सोमाजी 2. देवाराम पुत्र किशनाराम मेघवाल निवासी– पलासियॉ कला तहसील आहोर, जिला–जालोर।		1. विकू पुत्री चौलिया पत्नी प्रताराम निवासी– नया खेडा, तहसील तखतगढ जिला पाली। 2. जूंजारमल पुत्र चौलिया मेघवाल निवासी–पावटा तहसील आहोर। 3. श्रीमती पोनी पुत्री चौलिया पत्नी आसाराम के कायम मुकामः– 1. भैराराम पुत्र 2. शोभा पुत्री दोनों अवयस्क निवासी– मेघवालों का बास, उम्मेदपुर तहसील आहोर, जालोर। 4. ग्राम पंचायत पावटा तहसील आहोर 5. राजस्थान सरकार तहसीलदार आहोर जिला जालोर।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2015 जो उपखण्ड अधिकारी आहोर ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 06/2014 अनवान विकू बनाम जुजारमल वगैराह में कैम्प कोर्ट पावटा में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 24 अगस्त, 2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील उपखण्ड अधिकारी, आहोर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 06/2014 अनवान विकू बनाम जुंजारमल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 10.08.2020 को प्रस्तुत की गई है।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपस्थित अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया था कि रेस्पोंडेन्ट के पिता चौलिया पुत्र सोनिया मेघवंशी की खातेदारी की ग्राम पावटा में खसरा संख्या 215 रकबा 1.81 हैक्टर भूमि आई हुई थी जिनके देहान्त दिनंक 17.12.1994 के उपरान्त उनके पुत्र रेस्पो0 संख्या 2 जुंजारमल व उनकी माता पोकरीबाई के नाम से उत्तराधिकारी नामा0 संख्या 120 दर्ज किया जाकर ग्राम पंचायत पावटा के द्वारा स्वीकृत किया। श्रीमती पोकरी बाई की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उनके वारिसान के रूप में रेस्पो0 संख्या एक विकू व रेस्पो0 संख्या 2 जुंजारमल व श्रीमती पोनी पुत्र–पुत्री है। अपीलाधीन नामा0 स्वीकृति के समय पटवारी हल्का ने खातेदार चौलिया के सभी वारिसान का उत्तराधिकारी नामा0 में नाम दर्ज नहीं किया गया था, श्रीमती पोनी की मृत्यु हो चुकी है। अतः नामा0 संख्या 120 ग्राम पावटा को निरस्त किया जावे तथा पुनः सभी वारिसान के नाम नामा0 स्वीकृत किया जावें।

4. रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को उपखण्ड अधिकारी आहोर के द्वारा राजस्व कैम्प कोर्ट पावटा में रखी जाकर दिनांक 29.06.2015 स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 120 को निरस्त कर मृतक खातेदार चौलिया की खातेदारी भूमि को रेस्पो0 संख्या एक ता 5 नाम से दर्ज करने का तहसीलदार आहोर को निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, आहोर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

5. द्वितीय अपील के संलग्न अपीलान्ट की ओर से धारा 05 म्याद अधिनियम धारा 96 अपील प्रस्तुत करने अनुमति प्रार्थना पत्र पेश किये गये तथा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट वर्तमान में वादग्रस्त खसरान भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में रेकर्डेड खातेदार दर्ज है क्योंकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त भूमि को दिनांक 18.09.2013

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर
डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

को सुभाषचन्द्र पुत्र रणछोडराम जाति गरूडा, जिनके द्वारा उक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 2 जुंजारमल व उनकी माता पोकरीबाई से पूर्व में दिनांक 6.7.2009 को खरीद की गई थी, से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से खरीद की गई है। एवं वर्तमान समय में भी अपीलान्टस उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। जिसका नामा0 संख्या 527 दिनाक 20.12.2013 स्वीकृत किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के जारी अपीलाधीन आदेश से उनके खातेदारी हित खत्म होने से तथा हक–हिस्सा प्रभावित होने से व्यथित पक्षकार होने से अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रदान करावें। अपीलान्टस को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से हाल ही में होने पर उनके द्वारा सम्बन्धित दस्तावेजों की नकले प्राप्त करते हुए यह अपील पेश की है जिसे अन्दर म्याद शुमार किया जावे एवं अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आहोर के समक्ष प्रस्तुत करने के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक को पूर्ण रूप ये भान था कि वादग्रस्त भूमि उनके भाई व माता के द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया गया है उसके बावजूद भी उसके द्वारा अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बिना ही तथा बेचान को छुपाकर प्रथम अपील प्रस्तुत कर न्यायालय को अन्धेरे में रखते हुए अपीलाधीन आदेश जारी करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण होने से तथा एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है। इसी प्रकार पंजीकृत विक्रय विलेख को सिविल न्यायालय के स्तर पर निरस्त करवाये बिना उसमें दर्ज भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लिये जाने हेतु राजस्व न्यायालय अधिकृत नहीं है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई थी जिसे स्वीकार नहीं जा सकता था क्योंकि नामा0 संख्या 120 वर्ष 1996 में स्वीकृत हुआ था तथा उसको निरस्त कराने हेतु वर्ष 2014 में प्रथम अपील पेश की गई, वह भी वादग्रस्त भूमि के अन्य व्यक्तियों को बेचान हो जाने के उपरान्त। नामा0 संख्या 120 को स्वीकृत होने के लगभग 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

जिसे स्वीकार करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने म्याद अधिनियम की धारा 05 का पूर्ण परीक्षण नहीं किया और अपील को अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार किया गया, जबकि धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाये गये, उनके आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में प्रथम अपील निरस्त करने योग्य है।

8. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुतीकरण के समय की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया और भूमि के बेचान हो जाने के तथ्यों को भी छुपाया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने भी अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार आहोर से वर्तमान जमाबन्दी की जानकारी नहीं प्राप्त की, मात्र रेस्पो0 संख्या एक के कथनों/दस्तावेजों के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश प्रसारित कर दिया।

9. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वर्तमान समय में भी अपीलान्टस वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रेकर्ड अनुसार काबिज है। रेस्पोडेन्टस का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। रेस्पो0 संख्या एक ने अपील में भूमि पर उसके खातेदार अधिकार होने का आधार बताकर अपील प्रस्तुत की है जबकि खातेदारी के अधिकारों की घोषणा केवल नियमित वाद के जरिये ही की जा सकती है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, आहोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.015 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 120 को बहाल रखा जावें।

10. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियों का गहनता से अवलोकन किया अपीलान्टस को अपील प्रस्तुत की अनुमति दी न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। अपील के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आहोर ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 120 को निरस्त कर मृतक खातेदार चौलिया के वारिसान की जॉच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0के तहत नामा0 निस्तारण की कार्यवाही करने के निर्देश तहसीलदार आहोर को दिये गये है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुतीकरण के समय तत्कालीन जमाबन्दी

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में मृतक खातेदार चौलिया के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज रेस्पो0 संख्या 2 व उनकी पत्नी पोकरीबाई के द्वारा अपने हक–हिस्से में दर्ज हुई भूमि का बेचान सुभाषचन्द पुत्र रणछोडाराम निवासी–जालोर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 6.7.2009 को कर दिया गया तत्पश्चात सुभाषचन्द्र के द्वारा उक्त भूमि का बेचान वर्तमान अपीलान्टस संख्या एक व दो को पंजीकृत विक्रय विलेख के दिनांक 18.09.2013 को कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप नामा संख्या 527 दिनांक 20.12.2013 को स्वीकृत हुआ है। ऐसे में वर्तमान अपीलान्टस राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खातेदार के रूप में दर्ज हो गये थे।

11. रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा फौतेदगी नामा0 संख्या 120 के स्वीकृत होने के लगभग 14 वर्ष उपरान्त प्रथम अपील पेश की गई जिसमें वर्तमान समय में वादग्रस्त भूमि के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वे तत्समय में खातेदार के रूप में काबिज/काश्त थे। इसके अतिरिक्त विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आहोर को भी अपील निर्णित करने से पूर्व तहसीलदार आहोर से तत्कालीन समय की भूमि की वास्तविक राजस्व रेकर्ड की जानकारी तलब करते तत्पश्चात उचित निर्णय लेते। रेस्पो0 संख्या एक को चाहिये था कि यदि वे वादग्रस्त भूमि में काश्तकार होने का दावा करती है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करती। नामान्तरकरण प्रकिया मात्र राजस्व रेकर्ड के अपडेशन सम्बन्धी कार्यो हेतु अपनाई जाती है।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

12. चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खातेदार के देहान्त हो जाने पर उनके सभी वारिसान को खातेदारी भूमि में हक–हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिता है। हमारा विनम्र मत है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों तथा उल्लेखित आब्जर्वेशनों के मध्यनजर रखते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उखण्ड अधिकारी आहोर को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

डिविजनल कमिश्नर जोधपुर

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, आहोर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आहोर को प्रतिप्रेषित किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलाधीन

खसरान भूमि के मृतक खातेदार चौलिया के समस्त वारिसान के साथ–साथ वर्तमान समय में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज सभी खातेदारान (अपीलान्टगण) को भी अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर देने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 24 अगस्त, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. समित शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर
सत्यमेव जयते
जोधपुर